न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

रसद अपील :: 01/2018 ::

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेण्ट :–
मैसर्स किशोर कुमार ताराराम उचित मुल्य दुकानदार, वार्ड संख्या 1, 2 नगर पालिका, सुमेरपुर जिला पाली		सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 22 राजस्थान खाद्यान एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता मांगीलाल प्रजापत
रेस्पोडेण्ट की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक, पाली

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक : 13-8-18

अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत नियम 22 राजस्थान खाद्यान एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के तहत जिला रसद अधिकारी, पाली द्वारा प्रकरण संख्या 307/2017 बअनवान जिला रसद अधिकारी, पाली बनाम मैसर्स किशोर कुमार ताराराम उ.मु.दु. सुमेरपुर(वार्ड संख्या 1 व 2) में पारित आदेश दिनांक 11.01.2018 के विरूद्ध पेश की है। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया जाकर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उसे बिना सुने बिना नोटिस दिए पारित कर उसको जारी प्राधिकार पत्र निलम्बित कर निरस्त कर दिया है। जो विधी सम्मत नहीं होन से अपास्त योग्य है। दिनांक 18.12.2017 को वार्डवासी वार्ड संख्या 1 व 2 सुमेरपुर द्वारा जिला कलक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर एक शिकायत पेश की, कि मैसर्स किशोर कुमार ताराराम उ.मु.दु. सुमेरपुर द्वारा पात्र उपभोक्ताओं को समय पर गेंहु नहीं दिया जा रहा है। राशन वितरण में मनमानी करने विक्रेता द्वारा पर्ची में अंकित मात्रा के बराबर गेंहु नहीं देने, मात्रा कम तौल कर देने तथा राशन कार्डो में फर्जी एंट्री करने आदि अनियमितताओं की लिखित शिकायत पेश की गई। जिसके प्राप्त होते ही अपीलाण्ट को बिना सुने, बिना नोटिस दिए उसको जारी प्राधिकार पत्र को निलम्बित कर दिया एवं बाद में नोटिस जारी किया जाकर प्रवर्तन निरीक्षक सुमेरपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रवर्तन निरीक्षक सुमेरपुर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट में अपीलाण्ट के विरूद्ध शिकायत में अंकित तथ्य नहीं पाए गए है। इस कारण जैर अपील आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। प्रवर्तन निरीक्षक सुमेरपुर की जांच अनुसार शिकायतकर्ता राशनकार्ड धारकों को पॉस मशीन से ट्रांजेक्शन अनुसार वितरण करना पाया गया। उपभोक्ता के रेण्डम बयान लेने पर पूर्व में वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह भी कथन किया गया कि अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 25.11.2017 से वितरण करना शुरू किया, तब पॉस मशीन ऑनलाईन होने तथा सरवर डाउन होने से वितरण में परेशानी आ रही थी, तो शिकायतकर्ताओं ने जानबुझ कर डीलर के साथ मारपीट बाबत गलत व झुठी रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके आधार पर डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है क्योंकि यह प्राधिकार पत्र में वर्णित शर्तो का उल्लघंन होने की श्रेणी में नहीं आता है। इस बाबत उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर द्वारा भी जांच की गई। जिसकी प्रति संलग्न है, उसमें अपीलाण्ट के विरूद्ध कोई अनियमितता का आरोप नहीं है। इस बाबत जो कहा सुनी एवं मारपीट उचित मुल्य दुकानदार की दुकान में हुई, इस बाबत उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण संख्या 483/2107 जो अपीलाण्ट द्वारा थाना सुमेरपुर में दर्ज करया गया है तथा प्रकरण संख्या 488/2017 जो शिकायतकर्ताओं द्वारा दर्ज कराया गया। दोनों विचाराधीन

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

है। उपखण्ड़ अधिकारी सुमेरपुर ने उक्त दर्ज प्रकरणों की प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अपीलाण्ट को जारी प्राधिकार पत्र निलम्बित करने की अनुशंषा की गई है। जिसमें उचित मुल्य दुकानदार द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता किए जाने का उल्लेख नहीं है, उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा सुमेरपुर थाने में दर्ज एफ.आई.आर. के आधार पर राशन विक्रेता का व्यवहार पात्र परिवारों के प्रति सम्मानजनक नहीं होने का उल्लेख करते हुए प्राधिकार पत्र निलम्बन की जो सिफारश की गई है जो मानने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में जिला रसद अधिकारी पाली द्वारा जारी प्राधिकार पत्र निलम्बन का आदेश विधी विरूद्ध एवं अनियमितताओं पर आधारित नहीं होने से तथा प्राधिकार पत्र में उल्लेखित शर्तो का उल्लंघन नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

प्रवर्तन निरीक्षक, पाली ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट के विरूद्ध समस्त वार्डवासी वार्ड संख्या 1 व 2 सुमेरपुर द्वारा एक शिकायत 18.12.2017 को जिला कलक्टर महोदय के समक्ष पेश की, जिसमें राशन विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं को समय पर गेंहु नहीं देने राशन वितरण में मनमानी करने विक्रेता द्वारा पर्ची में अंकित मात्रा के बराबर गेंहु नहीं देने, कम तौल कर देने तथा राशन कार्डो में फर्जी एंट्री करने आदि अनियमितताओं बाबत उल्लेख किया गया है। जिस पर मैसर्स किशोर कुमार ताराराम उ.मु.दु. वार्ड संख्या 1 व 2 नगरपालिका सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली के प्राधिकार पत्र को निलम्बित कर कारण बताओं नोटिस जारी किया तथा प्रवर्तन निरीक्षक सुमेरपुर से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। जिसके संलग्न उपभोक्ताओं के लिए गए बयानों में कई उपभोक्ताओं द्वारा अपीलाण्ट द्वारा माह नवम्बर में गेंहु नहीं देने की शिकायत की है। उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर ने भी इसी बाबत प्राप्त शिकायत के संबंध में जांच कर रिपोर्ट प्रेषित की जिसके अनुसार डीलर का प्राधिकार पत्र तीन बार निलम्बित होने एवं पुलिस थाना सुमेरपुर में दुर्व्यवहार, जातिगत गाली गलौज करने संबंधी आई.पी.सी. की धारा 323, 454 एंव 3(1) आर.एस.डब्ल्यू.(।।) अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में मुकदमा संख्या 483 दिनांक 17.11.2017 दर्ज होने के मध्यनजर उचित मुल्य दुकानदार का व्यवहार सही नहीं होने, पात्र परिवारों के लिए सम्मान जनक एवं सदभावना पूर्ण व्यवहार नहीं होने के आरोपों की पुष्टि करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त करने की अनुशंषा की है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से उचित मुल्य दुकानदार मैसर्स किशोरकुमार ताराराम उ.मु.दु. वार्डसंख्या 1 व 2 सुमेरपुर के विरूद्ध उक्त वार्ड के कई उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत करने एवं उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा बाद जांच उपभोक्ताओं के प्रति अपीलाण्ट का व्यवहार अशोभनीय, असम्मानजनक दुर्भावनापूर्ण एवं गाली गलौज करने वाला होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसको जारी प्राधिकार पत्र संख्या 15/2006 निलम्बित कर बाद जांच अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर देते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जो न्यायोचित होने से अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। जिला रसद अधिकारी पाली की पत्रावली का अवलोकन किया गया। मैसर्स किशोर कुमार ताराराम उ.मु.दु. वार्ड संख्या 1 व 2 सुमेरपुर के विरूद्ध कई उपभोक्ताओं द्वारा सामुहिक रूप से शिकायत की गई है। जिस पर जिला रसद अधिकारी पाली द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक सुमेरपुर से जांच करवाई गई तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा उनको प्राप्त शिकायत के संदर्भ में भू अभिलेख निरीक्षक सुमेरपुर, तहसीलदार सुमेरपुर एवं प्रवर्तन निरीक्षक सुमेरपुर से जॉच करवाई गई। इनके द्वारा बाद जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई। जिसमें कतिपय उपभोक्ता द्वारा समय पर राशन सामग्री नहीं देने, माह नवम्बर का राशन नहीं मिलने एवं कम गेंहु देने, राशन कार्ड फेंकने तथा अभद्र व्यवहार कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर धक्का देकर गेंहु देने से इन्कार करने बाबत बयान दिए गए है। जो पत्रावली संलग्न है। उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट में अपीलाण्ट के विरूद्ध प्रकरण संख्या 483/2017 सुमेरपुर थाने में दर्ज होने का उल्लेख करते हुए। उचित मुल्य दुकानदार का व्यवहार उपभोक्ताओं के प्रति सही नहीं होने, उनका गाली गलौज करने के कारण प्राधिकार पत्र निरस्त करने की भी अनुशंषा की है। उसी आधार पर प्राधिकार पत्र को

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

निरस्त किया गया है। खाद्य सुरक्षा के गेंहु का वितरण एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें गेंहु का वितरण समाज के बी.पी.एल. एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े व्यक्तियों को किया जाता है तथा उचित मुल्य दुकानदार का व्यवहार इस प्रकार के पात्र परिवारों के लिए सम्मानजनक एंव सदभावनपूर्ण होना आवश्यक है। अपीलाण्ट को जारी प्राधिकार पत्र पूर्व में भी निलम्बित किया जा चुका है। बावजूद उसके आज भी अपीलाण्ट की कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ है तथा उसका व्यवहार उपभोक्ताओं के प्रति सम्मानजनक नहीं होना, गाली गलौज करना, अभद्र एवं दुर्भावनापूर्ण होना सुमेरपुर थाने में दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रेषित प्राधिकार पत्र निलम्बित करने की अनुशंषा रिपोर्ट से पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट के विरूद्ध जिला रसद अधिकारी, पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.01.2018 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरुप अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी, पाली द्वारा उनके विभागीय प्रकरण संख्या 307/2017 बअनवान सरकार बनाम मैसर्स किशोरकुमार ताराराम उ.मु.दु. वार्ड संख्या 1 व 2 सुमेरपुर में पारित आदेश दिनांक 11.01.2018 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ जिला रसद अधिकारी, पाली से प्राप्त मुल पत्रावली पुनः भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 13/8/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)